

प्रेषक,

निदेशक,
मत्स्य विभाग
उ०प्र०, लखनऊ।

सेवा में,

- 1- समस्त उप निदेशक मत्स्य, उ०प्र०।
- 2- समस्त सहायक निदेशक मत्स्य, उ०प्र०।
- 3- आहरण वितरण अधिकारी मुख्यालय।

पत्राक:

1460

/लेखा शाखा/

दिनांक 28-8-2017

विषय:- स्थानान्तरण नीति 2017 के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये अधिकारियों/कर्मचारियों के स्थानान्तरण यात्रा भत्ता बीजक भुगतान के संबंध में।

महोदय,

अवगत कराना है कि स्थानान्तरण नीति वर्ष 2017 के अन्तर्गत जनहित आधार पर स्थानान्तरित विभागीय अधि०/कर्मचारियों के स्थानान्तरण यात्रा भत्ता बीजक के देयको का ऑकलन एवं तदनुसार बजट की व्यवस्था कराते हुये भुगतान किया जाना है।

अतः स्थानान्तरित अधि०/कर्मचारियों के स्थानान्तरण संबंधी देयको का (स्थानान्तरण भत्ता बीजक की फोटो कापी की प्रति सहित) प्रस्ताव संलग्न प्रारूप पर प्रथमिकता के आधार पर दिनांक 15.09.2017 तक अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराने का कष्ट करे-

क्र०स०	स्थानान्तरित अधि०/कर्मचारी का नाम पदनाम	स्थानान्तरण आदेश संख्या	यात्रा की तिथि	स्थानान्तरण यात्रा भत्ता देयक की धनराशि	अभियुक्ति
1- 2- 3-					

कर्मचारियों/अधिकारियों के स्थानान्तरण यात्रा भत्ता बीजक की फोटो कापी प्रत्येक दशा में संलग्न कर प्रेषित की जाये। निर्धारित तिथि तक प्रस्ताव प्राप्त न होने की स्थिति में सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी के स्थानान्तरण यात्रा भत्ता बीजक के भुगतान हेतु बजट ऑवटन किया जाना सम्भव नहीं होगा।

भवदीय

(एस०के० सिंह)

संयुक्त निदेशक मत्स्य

मत्स्य निदेशालय, उ०प्र०, लखनऊ।

पत्राक:

/लेखा शाखा/ उक्त दिनांक

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1-उप निदेशक मत्स्य मुख्यालय।
- 2- यात्रा भत्ता बीजक पटल सहायक मुख्यालय।

(एस०के० सिंह)

संयुक्त निदेशक मत्स्य

मत्स्य निदेशालय, उ०प्र०, लखनऊ।